न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 43/2019 (14/2014)
GCMS NO. : **2014/00026**

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. आसीनखां पुत्र बाबुखां जाति–मुसलमान सिंधी निवासी केकिन्दडा तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. अकबर पुत्र बाबु खाँ 2. सफी खाँ पुत्र बाबु खाँ 3. ईब्राहीम पुत्र बाबु खाँ जातियान– मुसलमान निवासीगण केकीन्दडा तहसील जैतारण जिला पाली। 4. धर्मीचन्द पुत्र रमेश चंद जाति सैन निवासी जसनगर तहसील मेडतासिटी जिला नागौर 5. तहसीलदार जैतारण (लेण्ड होल्डर) 6. उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण। 7. हल्का पटवारी केकिन्दडा तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 31/05/2022

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 से 3 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा केकीन्दाडा में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 336/2 रकबा 05 बीघा है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की आराजी कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान की माता सहीदा को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.06.1972 को नियमन करके आंवटित की थी। तब से लेकर आज तक मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त हैं। नकल आवंटन की फोटो स्टेट प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। सायल सहीदा का जायन्दा पुत्र हैं। और गैरसायलान संख्या 1 से 3 तक भी साहीदा के जायन्दा पुत्रगण हैं। जो सहीदा के विधिक उत्तराधिकारीगण जायन्दा पुत्रगण हैं। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण यह नियमन होने की परिधि में आने के कारण नियमानुसार कार्यवाही करके आवंटन करके सनद जारी की थी, एवं खातेदारी अधिकार दिये गये। सहीदा के पति बाबु खाँ लम्बे समय से बाहर रहते थे। इसलिये उक्त आराजी की कृषि भूमि आवंटन में सहीदा की वलदियत के रूप में पिता ईस्माइल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.08.29 16:38:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खाँ दर्ज किया गया था। सायल का 1/4 हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 336/2 रकबा 05 बीघा में हिस्सा हैं एवं मौके पर कब्जा काश्त हैं। परन्तु सायल का उक्त आराजी की जमीन में राजस्व रेकर्ड में नाम अंकित नहीं होने से गैरसायलान की नीयत में फर्क आ गया हैं। सहीदा के पुत्रगण गैरसायलान संख्या 1 से 3 तक वर्तमान में जोधपुर में रहते हैं। सहीदा इनके कहने एवं दबाव में हैं। सिखावट में आ गई हैं। गैरसायल संख्या एक से तीन ने मिलकर अपनी माता सहीदा को सिखावट में लेकर उक्त आराजी की कृषि भूमि बैचान करने व सायल को बेदखल करने पर आमादा हैं। और कृषि भूमि बैचान से आने वाले प्रतिफल की राशि गैरसायलान संख्या 1 से 3 तक आपस में बांट कर हिस्से ले लेगें। गैरसायलान ने पूर्व में ग्राम केकीन्दडा में स्थित अन्य जमीन व पुश्तैनी मकान भी बैचान कर दिये। जिसमें भी सायल को इसकी माता सहीदा ने हिस्सा नहीं दिया। कभी भी मौका देखकर उक्त आराजी की जमीन का किसी भी अजनबी व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण करके परोक्त कर सकती हैं। यदि बैचान कर दिया तो सायल अपने कानूनी हक हकूको एवं जायज अधिकारों से हमेशा हमेशा के लिये वंचित रह जायेग। इसलिये भी सायल की तरफ से गैरसायलान संख्या 1 से 3 के विरुद्ध बंटवाडा घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। गैरसायल संख्या 6 उप पंजीयन अधिकारी राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं अधिकारी हैं। एवं गैरसायल संख्या पांच तहसीलदार भूमिधारक हैं। जो बंटवाडा करने का अधिकार हैं। इसलिये इनको पक्षकार बनाने का कानूनी प्रावधान हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वीकृति का धारा 80 (2) सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा हैं। दौराने दावा व प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि सहीदा ने गैरसायल संख्या 4 धर्मीचंद पुत्र रमेश चंद सैन निवासी जसनगर को बैचान करके बैचान दस्तावेज गैरसायल संख्या 6 उप पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर बैचान रजिस्ट्री तकमील करवा दी जो बैचान दस्तावेज के आधार पर गैरसायल संख्या 7 हल्का पटवारी म्यूटेशन नहीं भरे और गैरसायल संख्या 5 तहसीलदार के समक्ष म्यूटेशन प्रस्तुत करे तो इसे स्वीकृत आदि नहीं करें। और न ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के निर्णय तक हमेशा हमेशा के वास्ते रोका जावें। दिनांक 03.09.2014 का पंजीकृत बैचान दस्तावेज जो सहीदा ने धर्मीचंद सैन के नाम से किया हैं जो काबिल अपास्त एवं निरस्त के हैं। जिसे रद्द एवं निरस्त घोषित करने का आदेश फरमावें। कानूनी रूप से प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचारण रहते हुए एवं प्रार्थना पत्र लिस्ट पेन्डेन्सी रहते हुए एवं सहीदा की जानकारी में होते हुए भी किसी अन्य स्ट्रेन्जर पर्सन (अजनबी व्यक्ति) धर्मीचंद सैन पुत्र रमेश सैन निवासी जसनगर को बैचान करने का कोई कनूनी रूप से अधिकार नहीं हैं। जो काबिल निरस्त के हैं। उक्त प्रकरण में सहीदा दिनांक 03.09.2014 को ही फौत हो गई तो इसके [illegible] राधिकारीगण सायल एवं गैरसायल संख्या 1 से 3 तक ही रह[illegible] आराजी में सायल का 1/5 की जगह 1/4 हिस्सा हैं। इसलिये [illegible] 1/4 हिस्सा का सायल बंटवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.08.29 16:38:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

करवाने का कानूनी रूप से अधिकारी हैं। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र में जरिये संशोधन के जोडना कानूनी रूप से आवश्यक हैं। इसलिये जरिये संशोधन के उक्त पेरा इस प्रार्थना पत्र में जोडा गया। सायल को मौके पर प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर की आराजी कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा हैं। इसी हिस्से माफिक मौके पर कब्जा काश्त हैं। और बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा हैं। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार प्रथम दृष्व्या मामला भी सायल के पक्ष में बखुबी साबित हैं और सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में हैं। यदि सायल को गैरसायलान ने मिलकर बेदखल कर बैचान, बक्सीस, रहन, हस्तान्तरण किसी अजनबी व्यक्ति को कर देते हैं, तो सायल अपने हिस्से की जमीन से महरूम रह जायेगा और अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। इसलिये गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक रोके जाने का आदेश फरमावें एवं उक्त कृषि आराजी को किसी बक्सीस, रहन, बैचान, हस्तान्तरण आदि करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा हमेशा के वास्ते रोके जाने का आदेश प्रदान करावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात के पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 336/2 रकबा 05 बीघा में सायल का 1/6 वां हिस्सा आता हैं। मौके पर कब्जा काश्त भी हैं। काश्त मुतालिक कार्य में बाधा नहीं पहुंचावें और उक्त आराजी से बेदखल नहीं करे और उक्त भूमि का किसी भी अजनबी क्रेता को बैचान, बक्सीस व हस्तान्तरण नहीं करे। व न ही रहन रखे। जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वादपत्र के निर्णय तक रोका जावें। एवं मौके की स्थिति राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील गैरसायल ने नो इन्सट्रक्शन प्लीड किया, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये एवं गैरसायल संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 5 व 6 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील सायल राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता सायल की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 336/2 रकबा 05 बीघा ग्राम केकिन्दडा के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] मूल वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। प्रार्थी/[illegible] किये गये है कि वादग्रस्त आराजी उनकी माता [illegible] द्वारा दिनांक 03/06/1973

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.08.29 16:38:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

को नियमन करके आवंटित की गई थी। प्रार्थी द्वारा यह भी कथन किये गये कि उनकी माता सहीदा का दिनांक 03/09/2014 को देहान्त हो चुका था तथा गैरसायल संख्या 04 ने दिनांक 03/09/2014 कूटरचित अवैध रूप से रजिस्ट्री अपने नाम करवाने के कथन किये। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी का दौराने वाद विचारण पूर्व में हस्तांतरण हो चुका है व आगे भी हस्तांतरण होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होता है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी/सायल के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही यदि वादग्रस्त आराजी का आगे भी हस्तांतरण होता है तो प्रार्थी को सुगम न्याय निर्णयन में अनावश्यक विलंब होगा जिससे निश्चित ही उसे अधिक असुविधा होगी तथा इसके फलस्वरूप उन्हें अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः सुविधा के संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

उपरोक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हम मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत रखा जाना आवश्यक एवं उचित समझते है ताकि वाद में अनावश्यक जटिलता से बचा जा सके।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा केकिन्दडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 336/2 रकबा 5 बीघा के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)
फास्ट ट्रैक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.08.29 16:38:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक,
जैतारण, जिला–पाली(राज.)